भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2745
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

स्वायत्त जनजातीय परिषद

†2745. श्री टी.आर.बालू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित स्वायत्त जनजातीय परिषदों का ब्यौरा क्या है और ये कब से कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य सरकारों द्वारा इन परिषदों की स्वायत्तता को क्षीण किया जा रहा है, जिससे ये भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार स्वायत्तता का लाभ लेने में असमर्थ हो रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाइयां की गई हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में स्वायत्त परिषदों की स्थापना के लिए लंबित मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): वर्तमान में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत निम्नलिखित स्वायत्त जिला परिषदें गठित की गई हैं-

जिला	**गठित होने का वर्ष**
असम	
कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी)	1952
उत्तर कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनएसीएचएसी)	1952
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)	2003

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2745, दिनांक 04.08.2026

मेघालय	
खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (केएचएडीसी)	1952
गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी)	1952
जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जेएचएडीसी)	1964
मिजोरम	
लाई स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी)	1972
मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी)	1972
चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी)	1972
त्रिपुरा	
त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी)	1985

(ख) और (ग): जी, नहीं।

(घ): वर्तमान स्थिति के अनुसार, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, विचार हेतु कोई भी मामला लंबित नहीं है।
